रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112026-277575
CG-DL-E-02112026-277575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 864] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 864] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवंबर, 2026

सा.का.नि. 966(अ).—जबकि, विकसित भार–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) शिकायत निवारण नियम, 2026 कही जाने वाली कतिपय नियमों का प्रारूप, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी)अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 401 (अ) तारीख 22 मई 2026 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें जनता को उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 22 मई 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विधिवत विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (च) और (ण) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) - शिकायत निवारण नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "शिकायत निवारण के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना" से शिकायतों के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ नागरिकों के लिए सीधे सुलभ, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या नामित एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली या मंच अभिप्रेत है, जो पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध तरीके से ऐसी शिकायतों की शुरू से अंत तक डिजिटल ट्रैकिंग, निगरानी और निपटान को सक्षम बनाता है;

(ग) "शिकायत" से मौखिक रूप से, लिखित रूप में या डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत की गई कोई भी शिकायत या अभ्यावेदन अभिप्रेत है, जिसके साथ यदि संभव हो तो आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति का पूरा नाम और संपर्क विवरण संलग्न हो, और जो इस योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न या उससे जुड़े किसी भी मामले से संबंधित हो, जिसमें अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामले भी शामिल हैं;

(घ) "शिकायत निवारण तंत्र" से अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति, पंजीकरण, जांच और निपटान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरों पर ऐसे प्राधिकरणों से मिलकर बना संस्थागत तंत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "शिकायत निवारण अधिकारी" से अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन शिकायतों को प्राप्त करने, पंजीकृत करने, उनकी जांच करने और उनका निपटान करने के उत्तरदायित्व से युक्त ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या नामित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) अन्य सभी शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं।

3. शिकायत निवारण तंत्र: (1) राज्य सरकार इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक समयबद्ध और बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करेगी।

(2) शिकायत निवारण तंत्र में शिकायतों को प्राप्त करने, पंजीकरण करने, उनकी जांच करने और उनका निपटान करने के लिए उचित स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारियों को पदस्थ करने का प्रावधान होगा।

(3) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनका शिकायत निवारण तंत्र केंद्रीय सरकार द्वारा शिकायत निवारण के लिए निर्धारित डिजिटल सार्वजनिक तंत्र के साथ एकीकृत हो।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला स्तर पर शिकायत निवारण की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों का निवारण इन नियमों के अनुसार शिकायत निवारण के लिए निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक तंत्र के माध्यम से किया जाए।

4. शिकायतों का प्रस्तुतीकरण, प्राप्ति और पंजीकरण: (1) कोई भी व्यक्ति इस योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी मामले से संबंधित शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

(2) शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है -

(क) पदस्थ शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से;

(ख) स्पीड पोस्ट के माध्यम से [पंजीकरण और सुपुर्दगी के प्रमाण के साथ];

(ग) शिकायतों के निवारण के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाए;

(घ) टेलीफोन के माध्यम से, नामित हेल्पलाइन या ऐसे अन्य तरीके से जो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाए।

(3) ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर भौतिक रूप से प्राप्त किसी भी शिकायत को संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायत के निवारण के लिए डिजिटल सार्वजनिक तंत्र पर उसकी प्राप्ति के दिन या, जहां संभव नहीं हो, अधिकतम अगले कार्य दिवस तक अनिवार्य रूप से प्रविष्टि और पंजीकरण किया जाएगा।

(4) शिकायत का पंजीकरण होने पर, पंजीकरण संख्या, प्राप्ति की तारीख और प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के पदनाम वाली एक पावती डिजिटल माध्यम से प्राप्त शिकायत के मामले में इलेक्ट्रॉनिक रूप से और भौतिक रूप से प्राप्त शिकायत के मामले में भौतिक रूप से शिकायतकर्ता को जारी की जाएगी।

(5) किसी भी शिकायत के प्रारूप, भाषा, प्रस्तुति के तरीके या किसी भी प्रक्रियात्मक कमी के आधार पर पंजीकरण से इंकार नहीं किया जाएगा।

5. शिकायतों की जांच और निपटान की प्रक्रिया: (1) शिकायत निवारण अधिकारी प्रत्येक पंजीकृत शिकायत का परीक्षण करेगा और उसके निपटान के लिए आवश्यक जांच करेगा।

(2) ऐसी जांच के लिए, शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित प्राधिकारी या पदाधिकारी से उसके पास उपलब्ध ऐसे अभिलेखों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, रिपोर्टों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा या अन्य जानकारी मांग सकता है जो शिकायत निवारण के लिए प्रासंगिक है और उसका परीक्षण कर सकता है और वह प्राधिकारी या पदाधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करेगा।

(3) शिकायत के निपटान से पहले, शिकायत करने वाले व्यक्ति को, शिकायत के उचित निपटान के लिए जहां भी आवश्यक हो, या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(4) शिकायत की जांच और निपटान उसकी प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

(5) जांच पूरी होने पर, शिकायत निवारण अधिकारी निष्कर्षों को दर्ज करेगा और इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक या उपचारात्मक कार्रवाई करेगा या करवाएगा, और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उसका समाधान किया जाएगा।

(6) शिकायतों पर लिए गए निर्णयों तथा उस पर की गई कार्रवाई को शिकायत निवारण हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर अभिलिखित किया जाएगा तथा शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(7) जहां कोई शिकायत भौतिक रूप में प्राप्त हुई हो, वहां शिकायत के परिणाम तथा उस पर की गई कार्रवाई की सूचना भी शिकायतकर्ता को भौतिक रूप में दी जाएगी।

(8) शिकायत निवारण हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में शिकायत के पंजीकरण के चरण से लेकर उसके निस्तारण तक की स्थिति तथा जांच, निष्कर्षों एवं उस पर की गई कार्रवाई के अभिलेखन का प्रावधान होगा।

6. उच्चतर स्तर पर अग्रेषण एवं निगरानी—(1) जो शिकायत पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अनिवारित रहती है, उसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के अनुसार शिकायत निवारण हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से अगले उच्चतर स्तर पर अग्रेषित किया जाएगा।

(2) अग्रेषित की गई शिकायत प्राप्त करने वाला प्राधिकारी शिकायत का परीक्षण करेगा तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उसके निस्तारण हेतु समुचित कार्रवाई करेगा।

(3) इस नियम के अंतर्गत अग्रेषित की गई शिकायतों की उनके निस्तारण तक शिकायत निवारण हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी की जाएगी।

7. अपील— शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलें अधिनियम की अनुसूची I के पैराग्राफ 28 के खंड (झ), (ञ) एवं (ट) के उपबंधों के अनुसार दायर एवं निस्तारित की जाएंगी।

[फ़ा. सं. एल-12053/04/2026-आरई-I]

रोहिणी आर भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026

G.S.R 966(E).— Whereas, the draft of certain rules to be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) - Grievance Redressal Rules, 2026 were published, as required under sub-section (1) of section 33 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) vide number G.S.R. 401 (E) dated the 22nd May, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days on which copies of Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas the copies of the Gazette notification were made available to the public on the 22nd May, 2026;

And whereas objections or suggestions received on the said draft rules have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clause (f) and (o) of sub-section (2) of section 33 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) - Grievance Redressal Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025);

(b) "digital public infrastructure for redressal of grievance" means an integrated digital system or platform, as established, maintained, or designated by the Central Government, which is directly accessible to citizens for the purpose of registration of grievances, and enables end-to end digital tracking, monitoring and disposal of such grievances in a transparent, accountable and time-bound manner;

(c) "grievance" means any complaint or representation submitted orally, in writing or through digital means, preferably accompanied by the full name and contact details of the applicant or any other person, and relating to any matter arising out of or connected with the implementation of the Scheme, including the matters referred to in sub-section (2) of section 25 of the Act;

(d) "grievance redressal mechanism" means the institutional mechanism, comprising such authorities at the Gram Panchayat, Block and District levels, along with a digital platform provided by the Central Government, for the receipt, registration, enquiry and disposal of grievances relating to the implementation of the Scheme, in accordance with the provisions of the Act and these rules;

(e) "grievance redressal officer" means an officer appointed or designated by the State Government at the Gram Panchayat, Block, or District level and vested with the responsibility to receive, register, enquire into, and dispose of grievances under the provisions of the Act and these rules;

(f) all other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Grievance redressal mechanism.— (1) The State Government shall establish a time-bound and multi-tier grievance redressal mechanism at the Gram Panchayat, Block and District levels for dealing with grievances relating to the implementation of the Scheme.

(2) The grievance redressal mechanism shall provide for designation of grievance redressal officers at the appropriate levels for receiving, registering, enquiring into and disposing of grievances.

(3) The State Government shall ensure that the grievance redressal mechanism is integrated with the Digital Public Infrastructure for redressal of grievance designated by the Central Government.

(4) The District Programme Coordinator shall oversee grievance redressal at the district level and ensure that grievances are redressed through the designated grievance redressal mechanism and the Digital Public Infrastructure for redressal of grievance in accordance with these rules.

4. Submission, receipt and registration of grievances.— (1) Any person may submit a grievance relating to any matter arising out of, or connected with, the implementation of the Scheme.

(2) A grievance may be submitted—

(a) in person before the designated grievance redressal officer;

(b) through speed post [with registration and proof of delivery];

(c) through the Digital Public Infrastructure for Redressal of Grievances as may be designated by the Central Government;

(d) through telephone, designated helplines or such other mode as may be decided by the State Government.

(3) Any grievance received in physical form at the Gram Panchayat, Block or District level shall be mandatorily entered and registered on the Digital Public Infrastructure for redressal of grievances by the concerned grievance redressal officer on the day of its receipt or, where not feasible, no later than the next working day.

(4) Upon registration of a grievance, an acknowledgement containing the registration number, date of receipt and designation of the receiving authority shall be issued to the complainant through electronically where the grievance is received through digital mode, and in physical form where the grievance is received physically.

(5) No grievance shall be refused registration on the ground of format, language, manner of submission or any procedural deficiency.

5. Procedure for enquiry and disposal of grievances.- (1) The grievance redressal officer shall examine every registered grievance and undertake such enquiry as may be necessary for its disposal.

(2) For the purpose of such enquiry, the grievance redressal officer may call for and examine such records, registers, documents, reports, electronic data or other information as may be relevant to the grievance, from the authority or functionary having custody thereof, and such authority or functionary shall furnish the same within the period specified by the grievance redressal officer.

(3) Before disposal of the grievance, the person making the grievance shall, wherever necessary for proper disposal of the grievance, be given a reasonable opportunity of being heard, either in person or through electronic means.

(4) The enquiry into and disposal of a grievance shall be completed within seven working days from the date of its receipt.

(5) On completion of the enquiry, the grievance redressal officer shall record the findings and take, or cause to be taken, such corrective or remedial action as may be required in accordance with the Act and the rules made thereunder, and the grievance shall be resolved within fifteen days from the date of its receipt.

(6) The findings and the action taken on the grievance shall be recorded on the Digital Public Infrastructure for redressal of grievance and communicated to the person making the grievance.

(7) Where a grievance has been received in physical form, the outcome of the grievance and the action taken thereon shall also be communicated to the person making the grievance in physical form.

(8) The Digital Public Infrastructure for redressal of grievance shall provide for tracking of a grievance from the stage of its registration until its disposal and for recording the enquiry, findings and action taken thereon.

6. Escalation and monitoring.—(1) A grievance which remains unresolved within a period of fifteen days shall be escalated through the Digital Public Infrastructure for redressal of grievance to the next higher level in accordance with the grievance redressal mechanism established by the State Government.

(2) The authority receiving an escalated grievance shall examine the grievance and take appropriate action for its disposal in accordance with the provisions of these rules.

(3) Grievances escalated under this rule shall be monitored electronically through the Digital Public Infrastructure for redressal of grievance until their disposal.

7. Appeal.— Appeals against the orders passed under the grievance redressal mechanism shall be filed and disposed of in accordance with the provisions of clauses (i), (j) and (k) of paragraph 28 of Schedule I to the Act.

[F. No. L-12053/04/2026-RE-I]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.02 11:06:00 +05'30'